रोकें! 3 अमेरिकी नागरिकों को भारत छोड़ने का इमिग्रेशन नोटिस, पता लगाएँ ज़रूरी कारण

विषय सूची (Table of Contents):

>> मुख्य अपडेट्स (Emoji as per Title Topic)...
>> क्यों हुआ यह नोटिस?...
>> न्यायालय और फॉरेनर्स एक्ट...
>> हम पर क्या असर?...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी विदेश से आए व्यक्ति को क्यों भारत छोड़ने का नोटिस दिया जा सकता है? पुणे शहर पुलिस ने इतना ही नही, बल्कि तीन अमेरिकी नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा पर धर्म प्रचार के कारण भारत छोड़ने का निशाना बनाया है। आइए जानें इस मामले के हर कोने को।

मुख्य अपडेट्स (Emoji as per Title Topic)

>> 3 अमेरिकी नागरिक(53, 65, 66 वर्ष) को 19 21 अप्रैल को टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए।

>> पुलिस को संदेह कि वे धार्मिक प्रचार-प्रसारऔर शिक्षण में जुटे, जो वीज़ा की शर्तों के खिलाफ है।

>> 26 27 अप्रैल के दौरान पिंपरी चिंचवड़ में होटलों एवं कैब में पर्चे बाँटे।

>> इमिग्रेशन व फॉरेनर्स एक्टके तहत लीव इंडिया नोटिस जारी, 10मई2026 तक भारत छोड़ना अनिवार्य।

>> यह पहला मामला नही, जुलै2025 में भी इसी प्रकार के 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था।

क्यों हुआ यह नोटिस?

पुणे पुलिस की जाँच से पता चला कि तीनों ने टूरिस्ट वीज़ा के दायरे में रहते हुए:

>> ईसाई धर्म के पर्चे अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी में वितरित किए।

>> कैब चालक को धर्म के बारे में अलग राय दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश की।

>> दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर पर्चे मौजूद थे।

न्यायालय और फॉरेनर्स एक्ट

फॉरेनर्स एक्ट, 1959के तहत, टूरिस्ट वीज़ा धारक को किसी भी धार्मिक प्रचार से रोका गया है। यदि कोई उल्लंघन पाया जाए, तो इमिग्रेशन अधिकारियों को लीव इंडिया नोटिस देने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक शांति बनी रहे।

हम पर क्या असर?

इंसीडेंट से यह स्पष्ट होता है कि विदेशी नागरिकों के वीज़ा नियम कितने सख्त हैं। हर यात्री को:

>> धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले वीज़ा शर्तें जाँचनी चाहिए।

>> किसी भी प्रचार-प्रसार के दौरान अधिकारियों की पूछताछ का पालन करना अनिवार्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यह टूरिस्ट वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन है जिसके तहतइमिग्रेशन प्राधिकरण लीव इंडिया नोटिस जारी कर सकते हैं, जिससे आपको भारत छोड़ना अनिवार्य हो जाता है।

किसी भी नोटिस के खिलाफ आप कानूनी सलाह लेकर अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर सबूत आपराधिक हैं, तो अपील सफल होना मुश्किल है।